अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
पंचम राज्य वित्त आयोग
प्रथम तल, बी–ब्लाक, वित्त भवन, जन पथ, जयपुर– 302005
फोन नं॰– 0141–2742881, 2742833, फैक्स नं॰– 2742875
Website: www.sfc.rajasthan.gov.in
E-mail Address: sfc-5@rajasthan.gov.in

प॰5(28) 5वां रा.वि.आ. / 2015 जयपुर, दिनांक 09 नवम्बर 2015

विकास अधिकारी
पंचायत समिति ---------
जिला--------, राजस्थान

विषयः– राज्य वित्त आयोग की प्रश्नावली एवं अन्य आवश्यक सूचनायें भिजवाने बाबत।

महोदय,

संभवतः आपको विदित होगा कि संविधान के अनुच्छेद 243 एवं पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत इस आयोग का गठन महामहिम राज्यपाल के आदेश दिनांक 29.05.2015 द्वारा किया गया है। आयोग को समस्त पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का आकलन कर इन्हें राज्य सरकार से आवश्यक आर्थिक सहायता स्वीकृत कराने तथा स्वयं के संसाधन बढ़ाने हेतु जरूरी कदम उठाने के संबंध में सिफारिशें करनी है। आयोग की सिफारिशें वर्ष 2015 से 2020 तक के लिये लागू रहेगी।

आयोग ने इस हेतु एक प्रश्नावली तैयार की है तथा पंचायत समिति की गत पाँच वर्षो 2010–2015 के वास्तविक आय व्यय एवं आगे के पाँच वर्षो 2015–2020 की मदवार आवश्यकता एवं उपलब्धता तथा संभावित अन्तर की गणना हेतु प्रपत्र तैयार किये हैं जो इस पत्र के साथ संलग्न है। इसी तरह की सूचनायें सभी ग्राम पंचायतों से भी एकत्रित की जानी है जिसके लिये आपकी पंचायत समिति के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों के लिये प्रश्नावलिया इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

आपसे आग्रह है कि आप अपनी पंचायत समिति की प्रश्नावली तथा आय व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रो में पूर्ण करावें तथा आपकी पंचायत समिति के अधीन आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की प्रश्नावलियों को संबंधित पंचायतों से पूर्ण कराकर पंचायत समिति स्तर पर एकत्रित करा कर इस आयोग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

आयोग का कार्यकाल सीमित अवधि के लिये है तथा आयोग को शीघ्र अपना प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करना है अतः इस कार्य को प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नः– यथोपरि

(एस.सी.देराश्री)
सदस्य सचिव